भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पियर्सन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाषः 0135–2750809,
ईमेल/Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehrdun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 9-HPC 411/2013-CHA/ 348

दिनांकः 08/01/2015

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग,
आमर्सडेल बिल्डिंग,शिमला।

विषय : **Diversion of 12.385 ha of forest land for construction of LILO for 220 KV D/C Jalandhar-Hamirpur LILO (Loop in-Loop Out)transmission line at Hamirpur, within the jurisdiction of Hamirpur Forest Division in District Hamirpur, Himchal Pardesh in favour of Power Grid Corporation of India.**

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक हिमाचल प्रदेश का पत्रांक Ft.–48–2661/2012 (एफ0सी0ए0) दिनांक 10.11.2014, 24.12.2014 एवम् 30.12.2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, हिमाचल प्रदेश के पत्रांक –48–2661 /2013 (एफ0सी0ए0) दिनांक 01.11.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में क्षेत्रीय कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–17.10.2014 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जिला हमीरपुर में 220 KV D/C Jalandhar-Hamirpur LILO Transmission Line के निर्माण हेतु 12.385 हे0 वन भूमि को पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन के पक्ष में प्रत्यावर्तन की **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपरण प्रस्ताव के अनुसार UC Bhajnath C2 एवम् UPF Bari C1 में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 25 हे0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1097 से अधिक न हो।
9. मलवा का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण योजना के अनुसार वन मण्डल अधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

10. The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.
11. To minimize the felling of for construction of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines:
    (a) Below each conductor, width clearance of 3 mts. would be permitted for taking the tension stringing equipment. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.
    (b) One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.
    (c) In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum clearance, as may be stipulated by the Central Electricity Authority (CEA), between conductors and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.
    (d) The State Forest Department shall execute the scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line with the funds provided by the User Agency.
    (e) In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be cut.
12. The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.
13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.
14. Any other condition that this Ministry and its Regional Office, Dehradun may stipulate, from to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
15. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मवारी होगी।
16. उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

o/c

(एम0एस0 नेगी)
उप वन संरक्षक

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः**

1. अपर वन महानिदेशक (एफ.सी.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, अलीगंज, नयी दिल्ली – 110003
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) एवम् नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
3. आदेश पत्रावली।

o/c

(एम0एस0 नेगी)
उप वन संरक्षक